GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ENERGY DEPARTMENT

No. F.23(3)Energy/2015 Jaipur, dated: 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003);

(b) "Form" means form appended to these rule; and

(c) "Government" means the Government of Rajasthan.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Intimation of accidents.**- (1) If any accident occurs in connection with the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity in or in connection with, any part of the electric lines or other works of any person and the accident results in or is likely to have resulted in loss of human or animal life or in any injury to a human being or an animal, such person or any authorised person of the generating/ transmission/ distribution company or licensee, not below the rank of a Assistant Engineer or equivalent shall send to the Inspector an Email/Fax/Telegraphic report within

twenty four hours of the knowledge of the occurrence of the fatal accident and send a report in Form appended to these rules within forty eight hours of the knowledge of occurrence of fatal and all other accidents.

(2) For the intimation of the accident, Telephone Numbers, E-mail ID, Fax Numbers and addresses of Chief Electrical Inspector, Electrical Inspectors, District Magistrate, Police Station, Fire brigade and nearest Hospital shall be displayed at a conspicuous place in the generating station, sub-station, enclosed sub-station/ switching station and also be maintained in the office of the in-charge/owner of the Medium Voltage (MV)/High Voltage (HV)/Extra High Voltage (EHV) installations.

Form

See rule 3(1)

Intimation of Accident

1. Date and time of accident:
2. Place of accident (Village/Town, Tehsil/Thana and District):
3. Type of Accident: Fatal/Non-Fatal:
4. System and voltage of supply (Whether Extra High Voltage (EHV)/High Voltage (HV)/ Medium Voltage (MV)/ Low Voltage (LV), Line, sub-station/generation station/consumer`s installation/service lines/other installations):
5. Designation of the officer-in-charge of the generating company/ licensee/in whose jurisdiction the accident occurred:
6. Name of owner/user of energy in whose premises the accident occurred.
7. Details of victim (s):

   (A) Human:

      (i) name

      (ii) address

      (iii) sex

(v) approximate age :

(B) Animal:

(i) description of animal(s)

(ii) number(s)

8. In case the victim(s) is /are employee(s) of supplier/licensee :

(a) designation of such person(s)

(b) brief description of the job undertaken, if any

(c) whether specific permit-to-work on lines was taken or not (Yes or No)

(d) whether the permit-to-work was for Charged or non-charged lines? (Yes or No)

9. Causes leading to the accident:

10. Whether the incident is reported to concerned Police Station? If yes, give name of concerned Police Station:

11. What safety equipment were given to or used by the person(s) who met with the accident? Please tick:

Name of Safety Equipment	**Provided to the person who met with Accident**	
	Yes	**No**
Rubber gloves		
Mats		
Safety belts		
Ladders		
Others		

12. Names and designations of persons present at, and witnessed, the accident.

a. ____________________ b. ____________________

c. ____________________ d. ____________________

13. Any other information/remarks.

Place.......................... Signature ....

Time.......................... Name ....

Date.................................. Designation and Address of the Person reporting

....

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.

2/3/14

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 जयपुर, दिनांक : 21 MAR 2016

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की धारा 180 की उप–धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामील का प्ररूप और समय) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों रो संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(ग) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट है।

3. **दुर्घटनाओं की सूचना.**– (1) यदि कोई दुर्घटना विद्युत लाइनों के किसी भाग या किसी व्यक्ति के अन्य कार्यों के कारण या के संबंध में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के संबंध में होती है और दुर्घटना का परिणाम या संभाव्य परिणाम मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होती है तो ऐसा व्यक्ति या उत्पादन करने/पारेषण करने/वितरण करने वाली कम्पनी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति, जो सहायक अभियन्ता या इसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो, घातक

दुर्घटना के घटने की जानकारी होने के चौबीस घण्टे के भीतर ई–मेल/फैक्स/टेलीग्राफिक रिपोर्ट निरीक्षक को भेजेगा और घातक और समस्त अन्य दुर्घटनाओं के घटने की जानकारी के अड़तालीस घण्टे के भीतर इन नियमों से संलग्न प्ररूप में रिपोर्ट भेजेगा।

(2) दुर्घटना की सूचना के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, अग्निशमन दल और निकटतम अस्पताल के टेलीफोन नम्बर, ई–मेल आई डी, फैक्स नम्बर और पते, उत्पादन केन्द्र, उप–केन्द्र, संलग्न उप–केन्द्र/स्विचिंग केन्द्र में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किये जायेंगे और मध्यम वोल्टेज (म. वो.)/उच्च वोल्टेज (उ. वो.)/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अ.उ.वो.) संस्थापनों के प्रभारी/स्वामी के कार्यालय में भी सुरक्षित रखे जायेंगे।

प्ररूप

नियम 3(1) देखिए

दुर्घटना की सूचना

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना का स्थान (ग्राम/नगर, तहसील/थाना और जिला) :
3. दुर्घटना का प्रकार : घातक/अघातक
4. प्रदाय की प्रणाली और वोल्टेज (क्या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अ.उ.वो.)/ उच्च वोल्टेज (उ.वो.)/मध्यम वोल्टेज (म.वो.)/निम्न वोल्टेज (नि.वो.), लाईन, उप–केन्द्र/उत्पादन केन्द्र/उपभोक्ता का संस्थापन/सेवा लाइन/अन्य संस्थापन है) :
5. उत्पादनकर्त्ता कंपनी के प्रभारी अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी का पदनाम, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई है :
6. स्वामी/ऊर्जा के उपयोक्ता का नाम जिसके परिसर में दुर्घटना घटित हुई है
7. पीड़ित (पीड़ितों) के ब्यौरे :

   (क) मानव :

      (i) नाम

      (ii) पता

(iii) लिंग

(iv) अनुमानित आयु

(ख) पशु :

(i) पशु (पशुओं) का वर्णन

(ii) संख्या (संख्याएं)

8. पीड़ित (पीड़ितों) के प्रदायकर्त्ता/अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी होने की दशा में :

(क) ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) का पदनाम

(ख) जिम्मा लिये गये कार्य का संक्षिप्त वर्णन, यदि कोई हो

(ग) क्या लाइनों पर कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र लिया गया था या नहीं (हां या नहीं)

(घ) क्या कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र चार्ज की गयी या चार्ज नहीं की गई लाईनों के लिए है? (हां या नहीं)

9. दुर्घटना के मुख्य कारण :

10. क्या घटना की संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट की गयी है ? यदि हां तो संबंधित पुलिस थाने का नाम दीजिए:

11. व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसके साथ दुर्घटना हुई है, को क्या सुरक्षा उपस्कर दिये गये थे या उनके द्वारा प्रयुक्त गये थे:

सुरक्षा उपस्कर का नाम	**व्यक्ति, जिसके साथ दुर्घटना हुई, को उपलब्ध करवाया गया**	
	हां	**नहीं**
रबड़ के दस्ताने		
चटाई		

सुरक्षा बैल्ट		
सीढ़ियां		
अन्य		

12. दुर्घटना के समय उपस्थित और उसे देखने वाले व्यक्तियों के नाम और पदनाम

क...ख..

ग...घ..

13. कोई अन्य सूचना/अभ्युक्तियां

स्थान.................................. हस्ताक्षर..................................

समय.................................. नाम..................................

दिनांक.................................. रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पदनाम और पता

....

राज्यपाल के आदेश से,

21/3/16

(यू.डी. खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव